न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 772/2022

अनवान : –

1. तेजपाल पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रताप सिंह पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
2. मनोज कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
3. कविता पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
5. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
6. सन्जु बाला पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
7. सरोज पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 20/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 के ख.न. 225. की 2.9720 हैक्टर भूमि ख.न. 277 की 4.8560 हैक्टर, ख.न. 279 की 18.135 हैक्टर भूमि कुल तादादी 25.9630 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके पूर्व में वादीगण के दादा बिशनाराम खातेदार काश्तकार थे।।

वादीगण के दादा बिशनाराम के नाम उपरोक्त कृषि भूमि दर्ज थी तथा बाद फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि उनके नाम दर्ज हुई तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान में रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तादादी 25.9630 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 4 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा इस[illegible] हिस्से की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 3 [illegible] सं. 2 की बहिन एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी [illegible] भाई व पिता से अ[illegible]क स्नेह एवं मोह रखती है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में जितना भी [illegible] व हिस्सा बनता था [illegible] वादी सं. 1 एंव प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 वादी की बहिन है तथा जो कि अपने भाई से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। तथा प्रतिवदी सं. 1 एवं 4 भी अपने पुत्रो से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 व 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तांदादी 25.9630 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 व.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 2 एव प्रतिवादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 का नाम कलमजन करवाकर पाने के अधिकारी है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण के दादा बिशनाराम के नाम उपरोक्त कृषि भूमि दर्ज थी तथा बाद फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि उनके नाम दर्ज हुई तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान में रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तादादी 25.9630 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 4 [illegible] बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 के नाम [illegible] जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। तथा [illegible] एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्से की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 3 कविता वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 की बहिन एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 3 जो कि अपने भाई व पिता से अत्याधिक स्नेह एवं मोह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रखती है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में जितना भी हक व हिस्सा बनता था। वह वादी सं. 1 एंव प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 वादी की बहिन है तथा जो कि अपने भाई से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। तथा प्रतिवदी सं. 1 एवं 4 भी अपने पुत्रो से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 व 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तांदादी 25.9630 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 व.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 2 एव प्रतिवादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 का नाम कलमजन करवाकर पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता स0 107/99 की कुल 26.9630 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा बिशनाराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि वादीगण के दादा बिशनाराम के नाम उपरोक्त कृषि भूमि दर्ज थी तथा बाद फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि उनके नाम दर्ज हुई तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान में रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तादादी 25.9630 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 4 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्से की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 3 कविता वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 की बहिन एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 3 जो कि भाई व पिता से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में जितना भी हक व हिस्सा बनता था। वह वादी सं. 1 एंव प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 वादी की बहिन है तथा जो कि अपने भाई से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। तथा प्रतिवदी सं. 1 एवं 4 भी अपने पुत्रो से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तांदादी 25.9630 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 व.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 2 एव प्रतिवादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 का नाम कलमजन करवाकर पाने के अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तादादी 25.9630 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 2 एव प्रतिवादी सं. 5 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....20/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 772/2022

अनवान : –

1. तेजपाल पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रताप सिंह पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
2. मनोज कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
3. कविता पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
5. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
6. सन्जु बाला पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
7. सरोज पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 722 सन 2022 निर्णय दिनांक 20/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता सं. 107/99 की कुल तादादी 25.9630 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में वादी सं. 2 एव प्रतिवादी सं. 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/02/26 मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर